(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 82 / 2022

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ
(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री राकेश गौड पुत्र ओम प्रकाश गौड (विक्रेता) मैसर्स आलोक किराना एण्ड जनरल स्टोर, गौत्तम कॉलोनी शिव धर्मकाटे के सामने बारॉ (राज.)
2. श्री ओम प्रकाश गौड पुत्र भवानी शंकर गौड (मालिक) मैसर्स आलोक किराना एण्ड जनरल स्टोर, गौत्तम कॉलोनी शिव धर्मकाटे के सामने बारॉ (राज.)
3. श्री राजेश शौरी जनरल मैनेजर क्वालिटी कन्ट्रोल मिल्क फूड लिमिटेड ग्राम बहादुरगढ पटियाला पंजाब 147021 निवासी बी–30 / 822, पुरी रोड, आर्य समाज, पटियाला–1470011
4. मैसर्स– फूड लिमिटेड ग्राम बहादुरगढ पटियाला पंजाब 147021

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) / 51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1– श्री नीरज कुमार नागर खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी कम. 1 व 2)
3– श्री पवन कुमार (अप्रार्थी कम. 3 व 4)
Liasoning Officer of The Company

निर्णय दिनांक 19.01.2023

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री महेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.05.2022 को मैसर्स आलोक किराना एण्ड जनरल स्टोर गौत्तम कॉलोनी, शिव धर्मकाटे के सामेन बारॉ जिला बारॉ (राज.) पर पहुंचा। वहॉ पर श्री राकेश गौड पुत्र ओम प्रकाश गौड (विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.05.2022 को मुझे खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जरिये राजस्थान राज–पत्र अधिसूचना दिनांक 25.07.2011 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया है। जिसमे कम संख्या 72 पर मेरा नाम अंकित है। मुझे खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आदेश दिनांक 19.04.2022 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त कर आवंटित कार्यक्षेत्र जिला बारॉ दिया है। जिसमे कम संख्या 3 पर मेरा नाम अंकित है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी राजस्थान राज–पत्र अधिसूचना दिनांक 18.08.2011 द्वारा जिला अभिहित अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया गया जहाँ पर खाद्य पदार्थ **घी (मिल्क फूड) ब्रांड के 500–500 एम.एल. के 10 पैकिट** आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ **घी (मिल्क फूड) ब्रांड के 500 एम.एल. पैकिट** में मिलावट / मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 18:03:19 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ **घी (मिल्क फूड) ब्रांड के 500 एम.एल. के 04 पैकिट के** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री राकेश गौड पुत्र ओम प्रकाश गौड (विक्रेता) को 920/– रूपये (अक्षरे नो सौ बीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **घी (मिल्क फूड) ब्रांड के 500 एम.एल. 04 मूल पैकिट पर** ही लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1412 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1412 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री राकेश गौड पुत्र ओम प्रकाश गौड (विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विषलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/134 दिनांक 14.07.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 774/PHL/kota/Act/2022/776 दिनांक 16.05.2022 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **घी (मिल्क फूड) ब्रांड का 500 एम.एल. पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है। अप्रार्थी द्वारा पुनः रेफरल फूड लेबोरिट्री मैसूर से जॉच करवाई गई जिसकी जॉच रिपोर्ट संख्या/एफटी/[illegible]/एफएसएसए/820(एफ)/2022/दिनांक 28.10.2022 के द्वारा उक्त नमूना घी (मिल्क फूड) सबस्टैण्डर्ड पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 30.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई है। अप्रार्थी क्रम 3 व 4 की ओर से श्री पवन कुमार, Liasoning Officer of The Company द्वारा मय ऑथोराईजशन लेटर के उपस्थित होकर, कहा गया कि उक्त प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत नही किया जाकर, आज ही अंतिम रूप से निस्तारित करवाना चाहते है। इस पर प्रकरण में अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 18:03:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ पदार्थ **घी (मिल्क फूड) ब्रांड का 500 एम.एल. पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण (कम्पनी के प्रतिनिधी) द्वारा दौराने बहस कथन किया कि हमारे द्वारा अच्छी क्वालिटी का घी बेचान किया जाता है जिसमे किसी भी प्रकार की मिलावट नही की जाती है। उक्त जॉच रिपोर्ट मे छोटी सी कुछ प्वाईन्ट की ही त्रुटि पाई गई है। अतः हमारे विरूद्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **घी (मिल्क फूड) ब्रांड का 500 एम.एल. पैक की** रेफरल फूड लेबोरिट्री मैसूर से जॉच करवाई गई, जिसकी जॉच रिपोर्ट संख्या/एफटी/एक्यूसीएल/एफएसएसए/820(एफ)/2022/दिनांक 28.10.2022 के द्वारा उक्त नमूना **घी (मिल्क फूड) ब्रांड का 500 एम.एल. पैक,** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण को कुल जुर्माना राशि 51,000/– रूपये (अक्षरे ईक्कावन हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **19.01.2023** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 18:03:19 IST
Reason: SelfAttested